विधिक सेवा के लिए आवेदन-पत्र

1. (क) आवेदक का नाम ..... जाति .....

   (ख) पिता/पति का नाम .....

   (ग) निवास का पता .....

   थाना ..... तहसील ..... जिला .....

2. (क) क्या आवेदक ने पूर्व में विधिक सेवा चाही थी .....

   (ख) क्या आवेदक ने ऐसी विधिक सलाह .....

   यदि कोई हो, के अनुसार कार्य किया है .....

   (ग) उस रीति के बारे में संक्षिप्त विवरण जिसमें आवेदक ने विधिक सलाह के अनुसार कार्य किया है

   .....

3. आपेक्षित विधिक सेवा का रूप :

   (क) वाद पत्र या अपील ज्ञापन या प्रतिदावा पर न्यायालय फीस .....

   (ख) प्रतिपक्ष को तामील करने हेतु आदेशिका फीस .....

   (ग) साक्षियों के व्यय .....

   (घ) निर्णय तथा आदेशों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने का व्यय

   .....

4. विवाद के पक्षकारों का नाम व पता .....

   .....

   .....

5. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य .....

   .....

   .....

6. विधिक कार्यवाही प्रक्रम .....

स्थान : .....

दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप-1

(विनियम II का उप-विनिमय (I) तथा विनिमय 26 का उप-विनिमय (I)

शपथ-पत्र

(वास्ते, म.प्र. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने बावत)

मैं ..... आयु लगभग ..... वर्ष

पुत्र/पुत्री/ पत्नि श्री ..... जाति .....

निवासी ..... पोस्ट ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तथा निम्नानुसार कथन करता हूँ :

(क) मैं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हूँ।

(ख) मैं मानव के दुर्व्यवहार या किसी बेगार का शिकार हूँ।

(ग) मैं विधिक सेवा के लिए पात्र हूँ कारण कि मैं एक महिला या बालक हूँ।

(घ) मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा एक नि:शक्त व्यक्ति हूँ।

(ड) मैं सामुदायिक विपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विपदा का शिकार होने के कारण दरिद्रता की परिस्थितियों के अधीन एक व्यक्ति हूँ।

(च) मैं एक औद्योगिक कर्मकार हूँ।

(छ) मैं अभिरक्षा में हूँ।

(ज) समस्त स्त्रोतों से मेरी वार्षिक आय रूपये 1,00,000/- (एक लाख) केवल है।

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

अभिसाक्षी

.....

सत्यापन

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....

ऊपर नामित अभिसाक्षी एतद् द्वारा सत्यापित करता/ करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान से सत्य व सही है, उसमें कथन किया गया कुछ भी असत्य नहीं है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है, अत: भगवान मेरी सहायता करे।

आज तारीख ..... सन् ..... को ..... सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

.....

प्रारूप-2

[(विनिमय 17 का उप-विनियम (2) तथा विनिमय 32 का उप-विनियम (2)]

विधिक सेवा हेतु वचनबद्ध-सह घोषणा

मैं ..... आयु लगभग ..... वर्ष

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... जाति .....

निवासी ..... तहसील .....

जिला ..... एतद् द्वारा निम्नानुसार से वचन देता हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ जिला प्राधिकरण के सचिव या सदस्यों में किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी अधिग्रहण तथा निर्देश का अनुपालन करुंगा।
2. मैं समिति/ जिला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध किये गये विधिक सेवा अधिवक्ता को मेरे मामले के सभी तथ्यों की पूर्ण तथा सही जानकारी दूंगा।
3. मैं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश/ न्यायालय .....

   ..... मैं

   (क) ..... के निर्णय से अपील में

   (ख) ..... के लिए रिट की अधिकारिता

   (ग) .....

   ..... के रूप में कार्यवाही करने या उनका प्रतिरक्षण करने के लिए जाना चाहता हूं,
4. मैं एतद् द्वारा यह करार करता हूं कि उस दशा में जबकि न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में कोई डिक्री या आदेश पारित करते हुए मुझे खर्चे या अन्य मौद्रिक प्रसुविधा या लाभ दिया जाता है तो मैं, मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति/ जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत किये गये समस्त खर्चे प्रभार तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के तौर पर समिति/ जिला प्राधिकरण को भुगतान करुंगा। मैं, एतद् द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ जिला प्राधिकरण के सचिव को ऐसी समस्त कार्य तथा बातें जो कि मुझे भुगतान किये जाने के लिए डिक्री की गई या आदेश की गई रकम की वसूली या उपर्याप्त करने के लिए आवश्यक हो, करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूं और उक्त वर्णित प्रयोजन के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करें।
5. मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि, उस दशा में यदि किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई प्रसुविधा मेरे पक्ष में प्रदान की जाती है तो उच्च न्यायालय/ न्यायालय, इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि मुझे समिति/ जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपगत किये गये व्यय के प्रति समिति/ जिला प्राधिकरण ऐसी रकम का आयोजन कर सकेगा तथा मैं समिति/ जिला प्राधिकरण को भी इस संबंध में सही जानकारी दूंगा।
6. मैं करार करता हूं कि मेरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय/ न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, यदि किसी स्तर पर समिति/ जिला प्राधिकरण द्वारा यह विचार किया जाता है कि मेरे मामले में लोक अदालत के माध्यम से सुलह हो सकती है या विनिश्चय किया जा सकता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)